

१३८५ अ/ इन्दौर भारा १२/ २२८३

७०

राजस्व प्रकरण क्रमांक /2017

माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश (ब्वालियर)

(1) नन्दकिशोर पिता रामकिशन पाटीदार
आयु— वयस्क, व्यवसाय — कृषि,

(2) हरिनारायण पिता रामकिशन पाटीदार
आयु— वयस्क, व्यवसाय — कृषि,
दोनों निवासी — ग्राम — तिल्लौरखुर्द,
तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.)

----- आवेदकगण

विरुद्ध

(1) अब्दुल वाहिद खान पिता स्व. अब्दुल मजीद खान
आयु— वयस्क,
निवासी — 16/3 गुलजार कालोनी माणिकबाग रोड, इन्दौर (म.प्र.)
तर्फ आम—मुख्यार
नारायण सिंह लोधी पिता ठेकेदार स्व. श्री पन्नालाल लोधी
आयु — वयस्क, व्यवसाय — नामालूम,
निवासी — 94/95 सुन्दर नगर बाणगंगा इन्दौर (म.प्र.)

(2) मध्यप्रदेश शासन
तर्फ कलेक्टर जिला इन्दौर,
कलेक्टोरेट, मोती तबेला,
इन्दौर (म.प्र.)

----- अनावेदकगण

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959

श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी इन्दौर द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 26/अपील/14-15 में पारित आदेश दिनांक 05/06/2017 जिसके द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र अंतर्गत धारा 5 स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर यह रिवीजन आवेदकगण की ओर से निम्नानुसार प्रस्तुत है :—

!! प्रकरण के तथ्य !!

(3) यह कि अनावेदक क्रमांक 1 मूल प्रकरण में पक्षकार हो चहा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भू.ग./2017/2283

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-1-2019	<p>आवेदकगण की ओर से श्री मुशफिक खान, अभिभाषक उपस्थित। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि इस न्यायालय में निगरानी लम्बित रहने के दौरान अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक की अनुपस्थिति में अपील निरस्त कर दिये जाने से यह निगरानी सारहीन होने से समाप्त किया जाये। अतः आवेदकगण के अभिभाषक के अनुरोध पर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p> </p>	